



पट्टा देवेंद्र अनुबंध- पत्र

मुद्रांक- 960

उफर - 50

योग - 1010



पट्टा देवेंद्र- कुशल सिंह JTO श्री सुकुम सिंह, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम खनुपरा, तहसील व जिला रायसेन म० प्र० ।

पट्टा देवेंद्र- पोहान रज्जुबेन तोताष्टी नेहरू नगर भोपाल जिला भोपाल द्वारा:- अश्वय संदीप सिंह घोषान निवासी पूना भट्टी, कोतार रोड भोपाल जिला भोपाल ।

पट्टे पर दावा जाने वाली संपत्ति का विवरण:- पट्टादादाके स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यकी ग्राम खनुपरा तहसील व जिला रायसेन में स्थित ग्राम खसरा क्रं. 12/7, रकबा- 2.00 एकड़ आसीजा ग्राम में से रकबा- 0.500 अर्धेकड़ में निर्मित दो मीजला पक्का मकान है।

पट्टे पर दावा जा रही संपत्ति का मालिक ठहराया एवं पट्टे को अर्पण :- उक्त मकान दो ती रुपये प्रतिमाह के ठहराये से जात्र से जागामी तीस वर्ष 30 वर्ष की अर्पण के लिए पट्टे पर देखाजा रहा है। कोई अग्रम राशि पट्टागृहता ने पट्टादाता को अदा नहीं की है।

अन्य विवरण:- यह कि, मैं पट्टादाता के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की



--2--

उक्त धौंकल सौदत मकान ग्रामउनपुरा, तहसील व जिला रायसेन में स्थित है, जेते मुझे रोक्य, दान, चक्र करने का पूर्ण हक व अधिकार है।

यह कि, मे फटादाता अपने उक्त मकान को 200/- रुपये प्रतिमाह की बिराये की दर से आज से आगामी 30 वर्ष के लिए फटाग्रोहता संस्था पोहान रज्युेशन लोलायती नेहस्मार पोपाल जिला मोपाल को फटे पर देरहा हूँ। फटा ग्रोहता संस्था अपना स्वेच्छा से व सुविधा अनुसार जेसा चाहे छैता उपयोग उक्त मकान का करे, इत्ने मुझे व मेरे बाल- बालिका को कोई आपोत नही है, यदि किसी प्रकार से कोई आपोत करे तो यह झूठी मानो जावो।

यह कि, उक्त मकान आज से पूर्व किसी अन्य को रहन, रोक्य, चक्र आदि नही रोक्या गवा है जतः समो प्रकार के आसनीय आसनीय श्रम भार से मुक्त है तथा कोई रोक्याद लोबत है, उक्त मकान को फटे पर देने से 50 प्रो भू रान 10 रसतांला रियान के बिलो मो प्राधान का अलंघन नही होता है।

यह कि, फटाग्रोहता/ संस्था आज से 30 वर्ष को अवधि परपाल उक्त मकान का रोक्य आधिपत्य मुझे फटा दाता को लोपेनो यदि आखक हूा तो फटादाता को सहमत से और जाले की अवधि के लिए फटा रोक्य अनुबंधन निरुपारित रोक्याजा सैमा।

यह कि, फटा ग्रोहता/संस्था उक्त मकान का उपयोग

*Book*

*Page*

य उपभोग स्वयं करेगी एवं किसी अन्य को देकर, पट्टा जाँद नहीं करेगी  
 पट्टाग्रीह्या/ सैथा म० प्र० सोसायटी के रोजसूत्रान एक्ट १९७३ के  
 अन्तर्गत एक रोजसूत्र सैथा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार  
 एवं सामाजिक कल्याण कार्य करना है। इसीलिए सैथा अपने उद्देश्यों के  
 अनुस्यू ही अंत मकान में कार्य करेगी एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, जिससे  
 मकान को या आसपासके क्षेत्र को कोई झोत हो।

अतः यह पट्टा पेंडलख अनुबंधपत्र मैने अपनी स्वेच्छा से  
 स्वस्थ मनोद्वारा में देना भय-लोक-लालप, देना किसीका पत्ते के  
 पद-सुन समझकर अंकेत क देया व हस्ताक्षरत कर देया जो-सन्द रहे,  
 क्त जलरत काम आवे, होत दिनांक ३०.१२.२००२।

श्री० बापू राजीव श्रीवास्तव एडवोकेट, रायसेन म० प्र० ।

हस्ताक्षर/ पट्टाग्रीह्या

Sandeep

॥ घोडान रज्जुसूत्रान सोसायटी ॥  
 नेहलन नार भोपाल

द्वारा- अध्यक्ष सदीप सिंह  
 देनवासी कोतार रोड भोपाल

हस्ताक्षर/ पट्टादाता

*(Handwritten signature)*

॥ सुनील सिंह ॥

लाञ्छी क्र० १/ हस्ताक्षर

नाम व पता : एकीक उद्दीन आ. श्री श्रीशिव सिकन्दर  
 नि. कल्या. रामसुत नर. १ गिला रामसुत

लाञ्छी क्र० २/ हस्ताक्षर

नाम राजीव सुकला आ. श्री डी. क. सुनला  
 पता नि. E.8/ 189 मरुत नगर भोपाल, जिला-भोपाल

14